संख्या–वे0आ0–2–391/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–2) में पर्यावरण विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा पर्यावरण विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–2) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) पर्यावरण निदेशालय में उप निदशक के पदों को सहायक निदेशक से शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

(2) सहायक निदेशक के सीधी भर्ती के 02 पदों में से 01 पद पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि धारकों के लिये रखा जाय।

(3) तकनीकी सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु सिविल या रसायन या पर्यावरण या खनन या धातुकर्म या संगणक या जैव अभियंत्रण या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि ही रखी जाय। तकनीकी सहायक का 01 पद पर्यावरण अभियन्त्रण में स्नातक की अर्हताधारी अभ्यर्थी हेतु आरक्षित रखा जाय। इस संशोधित शैक्षिक अर्हता के साथ तकनीकी सहायक के पद पर वर्तमान वेतनमान रू0 5000–8000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800), ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300– 34800), ग्रेड वेतन रू0 4600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(4) स्थापत्य सहायक के पद पर वर्तमान में निर्धारित स्थापत्य सहायक में डिप्लोमा के स्थान पर स्थापत्य (आर्कीटेक्चर) में डिग्री रखी जाय। इस संशोधित अर्हता के साथ स्थापत्य सहायक के पद पर तकनीकी सहायक के समान वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800), ग्रेड वेतन रू0 4600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(5) सहायक निदेशक के 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग में तकनीकी सहायक के साथ–साथ स्थापत्य सहायक को भी रखा जाय।

(6) सामान्य संवर्ग के पदों यथा चतुर्थ श्रेणी, वाहन चालक, लिपिक श्रेणी सहित अन्य विभिन्न सामान्य श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा संस्तुतियां की जा चुकी है। पर्यावरण निदेशालय के सामान्य श्रेणी के पद भी उन्ही संस्तुतियों से आच्छादित होंगे।

(7) पर्यावरण निदेशालय के अन्य किसी पद/संवर्ग की वेतन विसंगति का मामला समिति के संज्ञान में नहीं लाया गया।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–399 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।